प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-281/2025 दिनांक 08.10.2025)
दिनांक-08.10.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म आदि के मामले में एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वाँछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.10.2025 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 254/2025 धारा 87,316(2),351(3),64 बीएनएस में वाँछित चल रहे एक नफर अभियुक्त अजय गिरी पुत्र ओमप्रकाश गिरी निवासी नगर पंचायत दुदही बडहरा बुजुर्ग गिरी टोला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 254/2025 धारा 87,316(2),351(3),64 बीएनएस थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार वाँछित अभियुक्त-
अजय गिरी पुत्र ओमप्रकाश गिरी निवासी नगर पंचायत दुदही बडहरा बुजुर्ग गिरी टोला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1. थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्रा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
2. उ0नि0 श्री सच्चिदानन्द यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
3. का0 ओमप्रकाश यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

थाना पटहेरवा पर आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2024-2025 के कुल 41 मुकदमों में बरामद अवैध देशी,अंग्रेजी व कच्ची शराब आदि कुल 1260 लीटर (कुल अनुमानित कीमत लगभग 04 लाख रुपये) को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार द्वारा समस्त थाना प्रभारी को

Edit with WPS Office

अपने-अपने मालखाने पर आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराबों को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में थानाध्यक्ष थाना पटहेरवा द्वारा थाना पटहेरवा पर वर्ष 2024-2025 के कुल 41 मुकदमों में बरामद अवैध अंग्रेजी, देशी व कच्ची शराब को नष्ट कराने का आदेश मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/ जे0एम0 कसया कुशीनगर से प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 08.10.2025 को ए0 पी०ओ० श्री देवेश शुक्ला, कार्यालय लिपिक श्री कृष्ण कुमार न्यायालय कसया, नायब तहसीलदार तमकुहीराज थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्रा थाना पटहेरवा, व0उ0नि0 हरेराम सिंह यादव, हे0मो0 वीरा प्रसाद यादव ,पैरोकार का0 रमेश आदि की उपस्थिति में थाना परिसर में जे0सी0बी0 से गड्ढा खुदवा कर कुल 41 मुकदमों में बरामद अवैध देशी व कच्ची तथा अंग्रेजी शराब को नियमानुसार नष्ट करवाया गया। नष्ट किये गये कुल माल 41 मुकदमा मे कुल 1260 लीटर शराब कुल कीमत लगभग 04 लाख रुपये है।

जिनके उपस्थिति में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-

1-श्री राकेश प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2-श्री कुन्दन वर्मा नायब तहसीलदार तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3-श्री देवेश शुक्ला सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय कसया कुशीनगर
4-श्री कृष्ण कुमार कार्यालय लिपिक न्यायालय कसया कुशीनगर
5-श्री विनय कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष पटहेरवा जनपद कुशीनगर
6-श्री हरेराम सिंह यादव व0उ0नि0 थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
7-हे0मो0 वीरा प्रसाद यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
8-का0 रमेश कुमार (न्यायालय पैरोकार कसया) कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 45 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-48 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-38, व्यक्ति-114

Edit with WPS Office

3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी−(कुल-46)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office